हॉब्स HOBBES —

हॉब्स अन्य समझौतावादियों की भांति अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत के अन्तर्गत आता है। लेकिन उसके अधिकार सम्बन्धी विचार जॉन लॉक के विचारों से काफी भिन्न है और इस अर्थ में प्राकृतिक नहीं है जिस अर्थ में लॉक ने उन्हें प्राकृतिक माना है। हॉब्स के अनुसार —

1- अधिकार सभ्य समाज की उपज है।

2. चूंकि प्राकृतिक अवस्था असभ्यता की, युद्ध की अवस्था थी अतः प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के कोई अधिकार नहीं था।

3- प्राकृतिक अवस्था में समाज भी नहीं था। अतः प्राकृतिक अवस्था अधिकार विहीन अवस्था थी।

4- समझौते द्वारा राज्य और समाज दोनों का जन्म हुआ। अतः अधिकार राज्य में ही सम्भव है।

5- समझौते द्वारा लेवियाथन को सारे अधिकार सौंपे गए हैं अतः समझौता भंग करने का अधिकार व्यक्ति को नहीं है।

6- समझौते द्वारा सम्प्रभु का जन्म होता है और सम्प्रभु की आज्ञा ही कानून है। अतः अधिकार का जन्म भी कानूनों से होता है।

Dr. SHAKEEL HUSAIN

7 - ~~[illegible]~~ यदि सम्प्रभु का आदेश प्राणों को संकट में डाल दे तो व्यक्ति को विद्रोह का अधिकार है। इस प्रकार हाब्स व्यक्ति के अधिकार को बहुत अधिक महत्व देता है इसीलिए इसे व्यक्तिवाद का जनक माना जाता है। लेकिन उसने अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत को अधिकारों के विधिक सिद्धांत के साथ उलझा दिया।

जॉन लॉक - अधिकार

लॉक दर्शन में अधिकारों का विचार बहुत स्पष्ट है वह हाब्स की भांति उलझा हुआ नहीं है। उसकी स्पष्ट मान्यता है कि -

1- अधिकार प्राकृतिक हैं और व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हैं।

2. समझौते से केवल राज्य पैदा होता है। समाज पहले से था और अधिकार भी थे।

3 - जीवन, सम्पत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार पवित्र, अदेय, अनुलंघनीय हैं, और प्राकृतिक हैं।

4 - राज्य के बनने से पूर्व ही व्यक्ति को ये प्राप्त हैं।

5 - राज्य एक भरोसेमंद न्यास TRUST

Dr. SHAKEEL HUSAIN

है। जिसका समझौते द्वारा जन्म हो इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है।

6 - इन अधिकारों का राज्य अतिक्रमण नहीं कर सकता।

7. व्यक्ति पूर्ण बहुत विवेकशील है अतः वह स्वाभाविक रूप से अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करता है। अतः प्राकृतिक अवस्था की शांति और सद्भाव कायम रहे यह व्यक्ति राज्य में भी बना रहता है।

8. इस प्रकार लाक जीवन सम्पत्ति और स्वतंत्रता के अधिकारों को प्राकृतिक और पवित्र मानता है। इसी कारण उसे उदारवाद का जनक भी कहा जाता है।

Dr. SHAKEEL HUSAIN

जॉन स्टुअर्ट मिल - अधिकार.

मिल के अधिकार सम्बन्धी विचार उसके स्वतंत्रता सम्बन्धी विचारों के साथ जुड़े हुए हैं। उसकी दृष्टि में स्वतंत्रता स्वयं एक अधिकार है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है। उसका प्रसिद्ध कथन है कि — "व्यक्ति अपने शरीर और आत्मा पर सम्प्रभु है।" इस दृष्टि से वह दो प्रकार की स्वतंत्रताएँ बताता है जो लगभग प्रतिबन्ध रहित हैं।

1- विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता -

2- कार्य करने की स्वतंत्रता। + कार्य की स्वतंत्रता में वह उन कार्यों पर प्रतिबन्ध की आज्ञा देता है जो व्यक्ति के उन कार्यों से सम्बन्धित है जो दूसरों पर प्रभाव डालती हैं।

लेकिन अधिकारों का विषय किंचित अधिक वैधानिक सम्बद्धता रखता है। इसलिए मिल अधिकारों का विश्लेषण उपयोगितावादी दृष्टि से "न्याय" के संदर्भ में करता है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "उपयोगितावाद" में वह यह बताता है कि "अधिकार" उपयोगिता को आगे बढ़ाने या समृद्ध करनेवाली महत्वपूर्ण वस्तु है। न्याय की धारणा से जोड़ते हुए वह बताता है कि जब कोई गलत काम करता है तो इससे किसी के अधिकारों का हनन होता है जो न्याय का विषय है।

इस प्रकार से अधिकार के साथ "कर्तव्य" भी जुड़ा है। क्योंकि हमारा ... का सबका यह कर्तव्य है कि वो ऐसा कार्य न करे जिससे दूसरों के अधिकारों की हानि हो। वह कर्तव्यों के दो प्रकार बताता है -

PERFECT DUTIES - निश्चित कर्तव्य - अधिकारों की रक्षा के लिए ये जरूरी हैं। इनका कानूनी महत्व है।

IMPERFECT DUTIES - अनिश्चित कर्तव्य - इनका सम्बन्ध नैतिकता से अधिक है जो व्यक्तिगत अधिकारों की बजाए सामाजिक अधिकारों या सामाजिक भलाई से अधिक जुड़े होते हैं। जैसे दान-पुण्य आदि।

इस प्रकार मिल यद्यपि स्वतंत्रता और अधिकारों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं करता तथापि वह स्वतंत्रता की व्याख्या के लिए अधिक प्रसिद्ध है और व्यक्ति को ऊंचा स्थान देता है। अधिकार का विचार ... साथ जोड़कर उपयोगितावादी व्याख्या करता है तथा अधिकारों के साथ कर्तव्य को अनिवार्य बताता है।

बैंथम BENTHAM – के अधिकार सम्बन्धी विचार –

बेंथम एक प्रख्यात कानूनविद् और उपयोगितावादी विचारक है। अत: उसके अधिकार विषयक विचार भी इसी के अनुरूप हैं। जिसकी मूल विशेषताएं हैं।

1- अधिकार कानूनों की उपज है। अर्थात् विधि द्वारा अधिकार दिए जाते हैं।

2- अधिकारों का आधार उपयोगिता है।

3- अधिकार मानवीय विकास के लिए आवश्यक है।

4- अधिकार शासकों पर प्रतिबन्ध स्वरूप है।

5- अर्थात् अधिकार शासकों पर प्रतिबन्ध इसलिए है क्योंकि यही उपयोगी है।

6- व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध अधिकार नहीं होने चाहिए क्योंकि यह व्यक्ति के लिए उपयोगी है।

7- अत: व्यक्ति के अधिकार के साथ उसके कर्तव्य भी जुड़े हैं।

A नामक व्यक्ति के अधिकार के साथ यह कर्तव्य जुड़ा है कि वह B नामक व्यक्ति के अधिकार का सम्मान करे या उल्लंघन न करे क्योंकि B भी ऐसा ही करेगा और इसी से अधिकतम सुखों की प्राप्ति होती है।

Dr. SHAKEEL HUSAIN

बेंथम के अनुसार यही उपयोगितावादी तर्क व्यक्ति के अधिकार और राज्य के आपसी सम्बन्धों पर भी लागू होता है।

इसीकारण Bentham ने प्राकृतिक अधिकारों Natural Rights की कटु आलोचना की। क्योंकि न तो वे कानून द्वारा उत्पन्न होते हैं न ही इनका उपयोगितावादी आधार है।

Dr. SHAKEEL HUSAIN

स्पेन्सर : SPENCER : अधिकार —

Man vs state में स्पेंसर ने अधिकारों को समझौतावादियों की भांति ही प्राकृतिक माना है। वह लाक की ही भांति मानता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नैसर्गिक है अर्थात जन्म से ही वह स्वतंत्र है। स्वतन्त्रता उसका सबसे पवित्र और अनुल्लंघनीय अधिकार है। वह सम्पत्ति के अधिकार को भी अनिवार्य मानता है। इस प्रकार वह लाक की ही भांति जीवन सम्पत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार को नैसर्गिक मानता है।

स्पेंसर के अनुसार स्वतंत्रता का अधिकार प्रकृति से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार स्पेन्सर के अनुसार

1 - अधिकार प्राकृतिक है।

2 - अधिकार Pre social पूर्व सामाजिक अवस्था से ही लोगों को प्राप्त है।

3 - अधिकार मानवीय स्वभाव की अनिवार्य अभिव्यक्ति है इसलिए प्राकृतिक है।

4 - दया, करुणा, न्याय आदि की स्वाभाविक वृत्तियों के कारण व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के उसी प्रकार के अधिकार का सम्मान करते हैं।

5 - सम्पत्ति का अधिकार भी अनिवार्य और नैसर्गिक

6 - भूमि पर समाज का स्वामित्व है व्यक्ति का नहीं।

7. स्पेन्सर एक विकासवादी विचारक है। उसने डार्विन के विकासवाद को राजनीति में लागू किया। अतः राज्य की भांति ही अधिकार भी अतीत की शक्तियों के संघर्ष की प्रक्रिया में है, विकास की प्रक्रिया में है।

8. स्पेन्सर राज्य को अनिवार्य बुराई मानता था और अधिकारों पर प्रतिबन्धों को आत्मा-अभिव्यक्ति मानता है।

इस प्रकार स्पेन्सर के अधिकार सम्बन्धी विचार व्यक्तिवाद और विकासवाद के अनुरूप है।

Dr. SHAKEEL HUSAIN